प्रेस नोट थाना गोरखनाथ दिनांक 19-05-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा कोविड- 19 वायरस के संक्रमण / कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित व्यक्तियो तक समय से इलाज व दवा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक व जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावी रुप से निगरानी हेतु निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में दिनांक 18.05.2021 को आक्सीजन सिलेण्डर की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर उसे गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ / क्राइम के निर्देशन में तथा औषधि निरीक्षक व गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तीन व्यक्तियों को धर्मशाला ओवर ब्रिज के नीचे एक अदद जम्बो आक्सीजन गैस सिलेण्डर भरा हुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। आक्सीजन गैस सिलेण्डर को निर्धारित मूल्य के बजाय 36000/- रुपये प्रति सिलेण्डर में बेचा जाता था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम पता-

1. जितेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र गणेश विश्वकर्मा निवासी बड़े काजीपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर ।
2. सिद्धार्थ यादव पुत्र प्रवीण यादव निवासी सठियांव थाना मुबारकरपुर जनपद आजमगढ ।
3. रोशन सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी कोटवा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी-

1. एक अदद जम्बो आक्सीजन गैस सिलेण्डर भरा हुआ।
2. तीन अदद मोबाइल Mi, oppo, Redmi
3. एक अदद सफेद आर्टिका कार न0 UP 53 DB 4224

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक व समय -

स्थान- धर्मशाला ओवर ब्रिज, **दिनांक-** 18.05.2021, **समय-** 20.10 बजे

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

मु0अ0सं0- 151/2021 धारा 420 भादवि थाना गोरखनाथ,गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

1. श्री जय सिंह औषधि निरीक्षक गोरखपुर
2. उ0नि0 ओकारनाथ श्रीवास्तव थाना गोरखनाथ
3. का0 महेन्द्र यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर